



Swami Vivekananda Advanced Journal for Research and Studies
Online Copy of Document Available on: www.svajrs.com

ISSN:2584-105X

Pg. 06-16



डिजिटल लोकतंत्र: राजनीतिक सहभागिता पर ऑनलाइन मंचों के प्रभाव का मूल्यांकन

Harsha

M.A. in Political Science, University of Delhi, UGC NET Qualified (Dec 2024),
Assistant Professor (Guest Faculty), Bhagini Nivedita College, University of Delhi

Accepted: 01/08/2026

Published: 04/08/2026

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.21794467>

सार

यह शोध-पत्र डिजिटल लोकतंत्र की अवधारणा के अंतर्गत ऑनलाइन मंचों द्वारा राजनीतिक सहभागिता पर उत्पन्न सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करता है। इंटरनेट, सामाजिक माध्यम, संदेश अनुप्रयोग, वीडियो मंच और डिजिटल शासन प्रणालियों ने राजनीतिक सूचना, अभिव्यक्ति, संगठन, चुनाव प्रचार, जन-अभियान और शासन से संवाद के नए अवसर निर्मित किए हैं। इनके माध्यम से नागरिक कम लागत पर अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, मुद्दों के आधार पर नेटवर्क बना सकते हैं और पारंपरिक संचार संस्थाओं से बाहर दृश्यता प्राप्त कर सकते हैं। किंतु इसी संरचना में मिथ्या सूचना, घृणास्पद भाषण, लक्षित दुष्प्रचार, गणनात्मक पक्षपात, निगरानी, निजी आंकड़ों का राजनीतिक उपयोग, प्रतिध्वनि-कक्ष और संगठित उत्पीड़न के जोखिम भी निहित हैं। अध्ययन गुणात्मक और विश्लेषणात्मक है तथा राजनीतिक संचार संबंधी सिद्धांतों, भारतीय चुनावी अनुभव, आधिकारिक आंकड़ों, मंच-शासन और चयनित अनुसंधानों का दस्तावेज-विश्लेषण करता है। शोध का केंद्रीय निष्कर्ष यह है कि ऑनलाइन सक्रियता को स्वतः लोकतांत्रिक गहराई का प्रमाण नहीं माना जा सकता। राजनीतिक सहभागिता का मूल्यांकन पहुंच, प्रतिनिधित्व, विमर्श की गुणवत्ता, निर्णय पर प्रभाव, समानता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व जैसे संकेतकों से होना चाहिए। डिजिटल लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सार्वभौमिक डिजिटल पहुंच, नागरिक माध्यम-साक्षरता, पारदर्शी मंच-नियम, चुनावी विज्ञापन का प्रकटीकरण, निजता-सुरक्षा और स्वतंत्र निगरानी आवश्यक हैं।

मुख्य शब्द: डिजिटल लोकतंत्र, राजनीतिक सहभागिता, ऑनलाइन मंच, सामाजिक माध्यम, मिथ्या सूचना, चुनाव, गणनात्मक शासन, डिजिटल समानता

1. प्रस्तावना

लोकतंत्र केवल समय-समय पर मतदान करने की व्यवस्था नहीं, बल्कि नागरिकों की निरंतर सूचना-प्राप्ति, अभिव्यक्ति, संगठन, विचार-विमर्श और सार्वजनिक निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता पर आधारित राजनीतिक जीवन-पद्धति है। डिजिटल संचार ने इन प्रक्रियाओं का समय, स्थान और लागत बदल दी है। नागरिक अब समाचार संस्थानों, राजनीतिक दलों या औपचारिक संगठनों पर पूर्णतः निर्भर हुए बिना विचार प्रकाशित कर सकते हैं, प्रतिनिधियों से प्रश्न पूछ सकते हैं और स्थानीय घटना को राष्ट्रीय विमर्श में ला सकते हैं। इस परिवर्तन ने राजनीतिक सहभागिता के प्रवेश-द्वार विस्तृत किए हैं, पर साथ ही यह प्रश्न भी उत्पन्न किया है कि दृश्यता, लोकप्रियता और वास्तविक लोकतांत्रिक प्रभाव में कितना संबंध है।

ऑनलाइन मंच तटस्थ सार्वजनिक चौक नहीं हैं। वे निजी स्वामित्व, विज्ञापन-आधारित आय, उपयोगकर्ता-आंकड़ों और गणनात्मक अनुशंसाओं पर आधारित तकनीकी संस्थाएं हैं। कौन-सी सामग्री अधिक लोगों तक पहुंचेगी, किस व्यवहार को पुरस्कृत किया जाएगा और किस अभिव्यक्ति को हटाया जाएगा, यह मंच की अभिकल्पना और नियमों से प्रभावित होता है। इसलिए डिजिटल लोकतंत्र का अध्ययन केवल नागरिकों के उपयोग पर नहीं, बल्कि तकनीकी संरचना, व्यापारिक हित, राज्य-नियमन और सामाजिक असमानता के संयुक्त प्रभाव पर केंद्रित होना चाहिए।

भारतीय संदर्भ में डिजिटल राजनीतिक संचार बहुभाषिकता, विशाल युवा जनसंख्या, सस्ते मोबाइल संपर्क, तीव्र मंच-विस्तार और मजबूत चुनावी प्रतिस्पर्धा से आकार ग्रहण करता है। राजनीतिक दल, उम्मीदवार, आंदोलन, समाचार संस्थान, प्रभावक और सामान्य नागरिक एक ही संचार पारिस्थितिकी में कार्य करते हैं। संदेश अनुप्रयोगों के बंद समूह, सार्वजनिक वीडियो मंच और अल्प-पाठ सामाजिक माध्यम अलग प्रकार की सहभागिता तथा सत्यापन चुनौतियां उत्पन्न करते हैं। यह विविधता डिजिटल लोकतंत्र को अवसरपूर्ण भी बनाती है और नियमन की दृष्टि से जटिल भी।

2. डिजिटल लोकतंत्र की अवधारणा

डिजिटल लोकतंत्र से आशय उन प्रक्रियाओं से है जिनमें डिजिटल प्रौद्योगिकी लोकतांत्रिक सूचना, परामर्श, प्रतिनिधित्व, उत्तरदायित्व और सामूहिक कार्रवाई को प्रभावित करती है। इसकी संकीर्ण परिभाषा इलेक्ट्रॉनिक मतदान या शासन सेवाओं तक सीमित हो सकती है, जबकि व्यापक परिभाषा नागरिकों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति, नेटवर्क-निर्माण, अभियान, याचिका, जन-सुनवाई, खुला आंकड़ा और नीति-सहभागिता को सम्मिलित करती है। इस अध्ययन में डिजिटल लोकतंत्र को तकनीकी साधन नहीं, बल्कि नागरिक, राज्य, राजनीतिक संगठन और निजी मंच के बीच परिवर्तित संबंध के रूप में समझा गया है।

डिजिटल नागरिकता के 3 स्तर पहचाने जा सकते हैं। पहला स्तर पहुंच है, जिसमें उपकरण, संपर्क, भाषा और डिजिटल कौशल सम्मिलित हैं। दूसरा स्तर उपयोग है, जिसमें सूचना प्राप्त करना, राय व्यक्त करना, सामग्री बनाना और नेटवर्क में भाग लेना शामिल है। तीसरा स्तर प्रभाव है, जिसमें ऑनलाइन गतिविधि सार्वजनिक कार्यसूची, संस्थागत उत्तर, चुनावी व्यवहार या नीति-निर्णय को प्रभावित करती है। केवल पहले या दूसरे स्तर की वृद्धि को लोकतांत्रिक सशक्तिकरण मानना भ्रामक हो सकता है, क्योंकि सहभागिता तभी अर्थपूर्ण है जब नागरिक की आवाज निर्णय-प्रक्रिया से जुड़ सके।

लोकतांत्रिक नागरिकता के लिए संचार का आदर्श केवल अधिक संदेश नहीं, बल्कि तर्क, विविधता, सुनने की क्षमता और उत्तरदायित्व है। ऑनलाइन मंच नागरिक और प्रतिनिधि के बीच प्रत्यक्ष संपर्क बढ़ा सकते हैं, पर वे संवाद को त्वरित प्रतिक्रिया, व्यक्तित्व-केंद्रितता और भावनात्मक ध्रुवीकरण की ओर भी ले जा सकते हैं। डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्र का मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि वह असहमति को स्थान देता है या नहीं, कमजोर आवाजों को सुरक्षा प्रदान करता है या नहीं और सत्ता को सार्वजनिक कारण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करता है या नहीं (कोलमैन और ब्लमलर, 2009)।

3. अध्ययन की समस्या, प्रश्न और पद्धति

अध्ययन की मूल समस्या यह है कि ऑनलाइन गतिविधि की मात्रा को प्रायः राजनीतिक सहभागिता की गुणवत्ता का पर्याय मान लिया जाता है। पसंद, साझा करना, टिप्पणी, अनुयायी और प्रवृत्त विषय आसानी से गिने जा सकते हैं, पर वे नागरिक ज्ञान, विचार-विमर्श, सामूहिक संगठन या नीति-प्रभाव को सीधे नहीं मापते। इसके विपरीत, कम दृश्यता वाले स्थानीय समूह, समुदाय-आधारित संदेश नेटवर्क या डिजिटल शिकायत प्रणाली ठोस प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। अतः यह शोध पूछता है कि ऑनलाइन मंच राजनीतिक सहभागिता की पहुंच और रूप को कैसे बदलते हैं; किन परिस्थितियों में वे लोकतंत्र को सुदृढ़ करते हैं; और किन संरचनात्मक जोखिमों के कारण सहभागिता असमान या विकृत हो सकती है।

अध्ययन के 4 उद्देश्य हैं: डिजिटल लोकतंत्र और राजनीतिक सहभागिता के संबंध की अवधारणात्मक व्याख्या करना; ऑनलाइन मंचों के सूचना, अभिव्यक्ति, संगठन और उत्तरदायित्व पर प्रभाव का विश्लेषण करना; भारतीय चुनाव और राजनीतिक संचार में उभरती प्रवृत्तियों का मूल्यांकन करना; तथा लोकतांत्रिक गुणवत्ता मापने के लिए एक बहुआयामी रूपरेखा प्रस्तावित करना। शोध किसी एक मंच की लोकप्रियता या किसी दल की चुनावी सफलता का अध्ययन नहीं करता, बल्कि संस्थागत और सामाजिक परिणामों पर केंद्रित है।

पद्धति गुणात्मक, वर्णनात्मक और आलोचनात्मक दस्तावेज-विश्लेषण पर आधारित है। इसमें डिजिटल राजनीति पर प्रमुख सिद्धांत, भारतीय राजनीतिक संचार संबंधी शोध, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश, चुनावी भागीदारी के आधिकारिक आंकड़े और इंटरनेट उपयोग के समकालीन अनुमान शामिल हैं। विश्लेषण के लिए पहुंच, सक्रियता, प्रतिनिधित्व, विमर्श, प्रभाव, अखंडता और उत्तरदायित्व के संकेतक अपनाए गए हैं। द्वितीयक आंकड़ों की सीमा यह है कि मंच-विशिष्ट आंकड़े प्रायः निजी संस्थाओं के नियंत्रण में होते हैं और ऑनलाइन व्यवहार को सामाजिक समूहों के अनुसार पूर्णतः पृथक करना कठिन है।

4. राजनीतिक सहभागिता के लोकतंत्रीकरण की संभावनाएं

डिजिटल मंचों का पहला लोकतांत्रिक योगदान सूचना की लागत कम करना है। नागरिक भाषण, घोषणापत्र, संसदीय कार्यवाही, सरकारी आदेश और प्रत्यक्ष घटनाओं की सामग्री शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। पारंपरिक माध्यमों में सीमित स्थान पाने वाले मुद्दे वैकल्पिक डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से सार्वजनिक ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। यह विशेष रूप से क्षेत्रीय भाषाओं, छोटे समूहों और स्थानीय प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है। तथापि सूचना की अधिकता ज्ञान की गारंटी नहीं है; विश्वसनीय स्रोतों की पहचान और संदर्भ समझने की क्षमता आवश्यक बनी रहती है।

दूसरा योगदान अभिव्यक्ति और दृश्यता का विस्तार है। सामाजिक माध्यम ने सामान्य नागरिक को सामग्री निर्माता, प्रत्यक्षदर्शी और टिप्पणीकार की भूमिका दी है। दलित, आदिवासी, महिला, दिव्यांग और अन्य वंचित समूह मुख्यधारा के प्रतिनिधित्व को चुनौती देकर अपने अनुभवों की भाषा निर्मित कर सकते हैं। ऑनलाइन कथन व्यक्तिगत पीड़ा को सार्वजनिक समस्या में बदल सकता है और समान अनुभव वाले लोगों के बीच एकजुटता उत्पन्न कर सकता है। नेटवर्क-समाज में संचार शक्ति का पुनर्वितरण सामाजिक आंदोलनों के लिए नए अवसर खोलता है (कास्टेल्स, 2012)। तीसरा योगदान संगठन और त्वरित समन्वय है। अभियान के लिए बैठक-स्थल, बड़े वित्त या स्थायी संगठन की आवश्यकता कुछ हद तक कम हो जाती है। सूचना-साझाकरण, स्वयंसेवक जुटाना, धन-संग्रह, कार्यक्रम की सूचना और प्रत्यक्ष प्रसारण एक ही नेटवर्क में संभव हैं। व्यक्तिगत अभिव्यक्ति साझा प्रतीकों और संदेशों के माध्यम से सामूहिक कार्रवाई में बदल सकती है। ऐसी जुड़ाव-आधारित कार्रवाई पारंपरिक सदस्यता संगठनों से अधिक लचीली होती है, किंतु उसकी स्थायित्व और आंतरिक उत्तरदायित्व की सीमाएं भी हो सकती हैं (बेनेट और सेगरबर्ग, 2013)।

चौथा योगदान प्रतिनिधियों और संस्थाओं से प्रत्यक्ष संपर्क है। नागरिक शिकायत, प्रश्न या स्थानीय समस्या को सार्वजनिक

रूप से चिह्नित करके प्रशासन पर प्रतिक्रिया का दबाव बना सकते हैं। डिजिटल शिकायत मंच और खुला आंकड़ा सेवा-प्रदाय में पारदर्शिता बढ़ा सकते हैं। सार्वजनिक उत्तर दिखाई देने से अन्य नागरिक भी प्रशासनिक प्रक्रिया समझते हैं। फिर भी प्रतिक्रिया का चयन लोकप्रियता के आधार पर होने लगे तो कम डिजिटल दृश्यता वाले नागरिक पीछे रह सकते हैं। संस्थागत उत्तरदायित्व को प्रवृत्त विषयों के बजाय समान और समयबद्ध प्रक्रिया पर आधारित होना चाहिए।

पांचवां योगदान युवा और प्रथम बार मतदाताओं तक पहुंच है। लघु वीडियो, दृश्य व्याख्या, भाषायी सामग्री और संवादात्मक कार्यक्रम राजनीति को औपचारिक भाषण से बाहर लाते हैं। शोध दर्शाता है कि सामाजिक माध्यम के उपयोग और नागरिक या राजनीतिक सहभागिता के बीच सामान्यतः सकारात्मक, यद्यपि संदर्भ-निर्भर, संबंध पाया जाता है (बुलियान, 2015)। इस संबंध को कारणात्मक मानने में सावधानी आवश्यक है, क्योंकि पहले से राजनीतिक रुचि रखने वाले लोग डिजिटल मंचों का अधिक उपयोग कर सकते हैं।

5. भारत में डिजिटल राजनीतिक संचार का विस्तार

भारत में इंटरनेट का विस्तार डिजिटल लोकतंत्र की सामाजिक आधारभूमि को तेजी से बदल रहा है। 2025 के अनुमान के अनुसार सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 95 करोड़ से अधिक हो गई और उनमें लगभग 57 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में थे। ग्रामीण बहुलता यह संकेत देती है कि डिजिटल राजनीति अब केवल महानगरीय मध्यवर्ग की गतिविधि नहीं रही। फिर भी उपकरण की गुणवत्ता, संपर्क की स्थिरता, साझा फोन, भाषा, लिंग और डिजिटल कौशल के अंतर वास्तविक उपयोग को प्रभावित करते हैं (भारतीय इंटरनेट और मोबाइल संघ तथा कांतार, 2026)।

भारतीय चुनाव प्रचार में ऑनलाइन मंच अब पूरक माध्यम नहीं, बल्कि मिश्रित संचार व्यवस्था का अंग हैं। टेलीविजन बहस, सार्वजनिक सभा, समाचार पत्र, उम्मीदवार का संदेश, प्रभावक की सामग्री और नागरिक प्रतिक्रिया एक-दूसरे को पुनः प्रसारित करते हैं। कोई संदेश पहले मंच पर उत्पन्न होकर टेलीविजन समाचार बन सकता है और फिर बंद

संदेश समूहों में प्रसारित हो सकता है। इस मिश्रित व्यवस्था में पुराने और नए माध्यम प्रतिस्पर्धा के साथ परस्पर निर्भर होते हैं (चैडविक, 2017)।

2014 के आम चुनाव ने व्यक्तित्व-केंद्रित डिजिटल प्रचार, नारे, दृश्य प्रतीक और प्रत्यक्ष नेता-संचार की भूमिका को व्यापक ध्यान दिलाया। राजनीतिक संदेश का साधारण, पुनरावृत्त और साझा करने योग्य रूप विशाल नेटवर्क में तेजी से फैल सकता है। ऐसे संदेश जटिल नीति प्रश्नों को सरल पहचान और भावनात्मक कथा में बदलते हैं। नरेंद्र मोदी के डिजिटल संचार पर अध्ययन ने राजनीतिक साधारणताओं के प्रसार और व्यक्तित्व-निर्माण की इस प्रक्रिया को रेखांकित किया (पाल, 2015)।

भारतीय डिजिटल राजनीति में क्षेत्रीय भाषाओं और दृश्य सामग्री का महत्त्व लगातार बढ़ा है। भाषा-विविधता लोकतांत्रिक पहुंच बढ़ाती है, किंतु तथ्य-जांच और मंच-संयम की क्षमता सभी भाषाओं में समान नहीं होती। स्थानीय सांस्कृतिक संकेतों का उपयोग संदेश को विश्वसनीय बनाता है, पर इसी माध्यम से जातीय या धार्मिक रूढ़ियां भी अधिक प्रभावी ढंग से प्रसारित हो सकती हैं। अतः बहुभाषिक डिजिटल लोकतंत्र के लिए स्थानीय भाषा के पत्रकार, शोधकर्ता, तथ्य-जांचकर्ता और प्रशिक्षित सामग्री-संयमक आवश्यक हैं।

ऑनलाइन मंचों ने राजनीतिक दलों को सूक्ष्म स्तर पर मतदाता समूहों से संवाद, स्वयंसेवक प्रबंधन और त्वरित प्रतिक्रिया की क्षमता दी है। भारतीय चुनाव अभियानों पर अध्ययन से पता चलता है कि डिजिटल माध्यम और पारंपरिक जन-संपर्क एक-दूसरे का स्थान नहीं लेते, बल्कि संगठित अभियान में संयुक्त रूप से काम करते हैं (नेयाजी, कुमार और सेमेटको, 2016)। इससे संसाधन-संपन्न दलों को आंकड़ा, पेशेवर दल और विश्वास के कारण लाभ मिल सकता है, जबकि छोटे समूह सृजनशील सामग्री और स्वैच्छिक नेटवर्क से दृश्यता प्राप्त कर सकते हैं।

6. ऑनलाइन मंच और चुनावी सहभागिता

चुनावी सहभागिता में डिजिटल मंच मतदाता पंजीकरण, मतदान तिथि, उम्मीदवार की जानकारी और मतदान केंद्र

संबंधी सूचना के प्रसार में उपयोगी हो सकते हैं। निर्वाचन संस्थाओं द्वारा सामाजिक माध्यम का प्रयोग युवाओं और शहरी प्रवासियों तक पहुंच बढ़ाता है। उम्मीदवारों की सार्वजनिक सामग्री से मतदाता उनकी प्राथमिकताओं और वक्तव्यों की तुलना कर सकते हैं। फिर भी डिजिटल प्रचार का बड़ा हिस्सा व्यक्तित्व, तात्कालिक विवाद और प्रतीकात्मक संघर्ष पर केंद्रित रहता है, जिससे स्थानीय शासन, बजट और विधायी प्रदर्शन जैसे मुद्दे पीछे जा सकते हैं।

2024 के लोकसभा चुनाव में कुल मतदाता सहभागिता 66.10 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि महिला मतदाता सहभागिता 65.78 प्रतिशत रही। इन आंकड़ों से व्यापक चुनावी भागीदारी का पता चलता है, पर केवल मतदान प्रतिशत से डिजिटल माध्यम का स्वतंत्र प्रभाव निर्धारित नहीं किया जा सकता। मतदान पर सामाजिक पहचान, उम्मीदवार, दल-संगठन, स्थानीय अभियान, कल्याणकारी अनुभव और निर्वाचन प्रबंधन जैसे अनेक कारक कार्य करते हैं। डिजिटल सामग्री इन कारकों को आकार दे सकती है, पर कारणात्मक संबंध स्थापित करने के लिए क्षेत्रीय और दीर्घकालिक अध्ययन आवश्यक हैं (भारत निर्वाचन आयोग, 2025क)।

ऑनलाइन अभियान राजनीतिक ज्ञान बढ़ा सकता है जब सामग्री स्रोत-संपन्न, संदर्भित और तुलना योग्य हो। इसके विपरीत, अत्यधिक संदेश और विरोधी दावों की बाढ़ नागरिक को भ्रमित या उदासीन बना सकती है। राजनीतिक संचार की गति तथ्य-जांच की गति से अधिक होने पर प्रारंभिक मिथ्या दावा बाद के खंडन से अधिक प्रभाव छोड़ सकता है। इसलिए चुनावी सहभागिता की गुणवत्ता का आकलन इस आधार पर भी होना चाहिए कि मतदाता को विश्वसनीय और विविध सूचना कितनी मिली, न कि केवल उसने कितनी सामग्री देखी।

सामाजिक माध्यम पर अभियान स्वयंसेवा और छोटे दान की संभावना बढ़ाता है। नागरिक स्थानीय कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, मतदान जागरूकता सामग्री बना सकते हैं और उम्मीदवार से सार्वजनिक प्रश्न पूछ सकते हैं। पर

संगठित दल नकली जनसमर्थन, समन्वित प्रवृत्त विषय और कृत्रिम खातों के माध्यम से लोकप्रियता की छवि भी बना सकते हैं। दृश्यता को वास्तविक जनमत मान लेने से अभियान की शक्ति-संरचना अस्पष्ट हो जाती है। स्वतंत्र शोध के लिए मंचों द्वारा विज्ञापन, पहुंच और समन्वित व्यवहार के पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध कराना आवश्यक है।

7. मिथ्या सूचना, धुवीकरण और घृणास्पद भाषण

डिजिटल लोकतंत्र की सबसे गंभीर चुनौती मिथ्या और भ्रामक सूचना है। सस्ती संपादन तकनीक, संदर्भ से काटे गए दृश्य, पुरानी सामग्री का पुनःप्रयोग और कृत्रिम रूप से निर्मित ध्वनि या वीडियो चुनावी धारणा को प्रभावित कर सकते हैं। बंद संदेश समूहों में स्रोत की पहचान कठिन होती है और पारिवारिक या सामुदायिक विश्वास संदेश को विश्वसनीय बना सकता है। खंडन अक्सर उसी नेटवर्क और भाषा में नहीं पहुंचता जिसमें मिथ्या सूचना फैली थी।

मिथ्या सूचना केवल तथ्य की त्रुटि नहीं; वह राजनीतिक रणनीति के रूप में संदेह और अविश्वास भी उत्पन्न कर सकती है। लगातार विरोधाभासी दावों से नागरिक यह मान सकता है कि सत्य का निर्धारण संभव ही नहीं है। ऐसी स्थिति लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व को कमजोर करती है, क्योंकि किसी भी प्रमाण को पक्षपातपूर्ण कहकर अस्वीकार किया जा सकता है। समाधान में तथ्य-जांच आवश्यक है, पर उससे आगे स्रोत-पारदर्शिता, राजनीतिक विज्ञापन का प्रकटीकरण, सार्वजनिक संस्थाओं का शीघ्र संचार और माध्यम-साक्षरता भी जरूरी है।

गणनात्मक अनुशंसा उपयोगकर्ता की पूर्व रुचि से मेल खाने वाली सामग्री को बढ़ा सकती है। इससे व्यक्ति समान विचार वाले नेटवर्क में अधिक समय बिताता है और विरोधी दृष्टिकोण का संपर्क घट सकता है। छन्न बुलबुले की अवधारणा इस व्यक्तिगत सूचना-परिवेश की ओर संकेत करती है (पैरिसर, 2011)। हालांकि सभी उपयोगकर्ता पूर्णतः बंद बुलबुले में नहीं होते, फिर भी चयनात्मक संपर्क और समूह-आधारित पहचान धुवीकरण को बढ़ा सकते हैं।

प्रतिध्वनि-कक्ष में विचार की पुनरावृत्ति सामाजिक प्रमाण का भ्रम देती है। विरोधी समूह को शत्रु, अनैतिक या राष्ट्र-विरोधी

रूप में चित्रित करने से नीतिगत असहमति पहचान-संघर्ष में बदल सकती है। लोकतांत्रिक समाज में तीखी आलोचना वैध है, पर अमानवीकरण और हिंसा का संकेत सार्वजनिक तर्क की सीमा तोड़ता है। डिजिटल मंच की सहभागिता-आधारित अर्थव्यवस्था उत्तेजक सामग्री को लाभ दे सकती है, क्योंकि क्रोध और भय अधिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं।

भारतीय ऑनलाइन राजनीति में अपमानजनक और आक्रामक भाषा की विशिष्ट संस्कृति पर शोध ने दिखाया है कि गाली केवल व्यक्तिगत असभ्यता नहीं, बल्कि समूह-सीमा, पुरुषत्व और राजनीतिक निष्ठा का प्रदर्शन बन सकती है। महिला पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और हाशिए के समूहों को यौनिक तथा जातिगत उत्पीड़न का असमान बोझ उठाना पड़ता है (उडुपा, 2018)। ऐसी हिंसा अभिव्यक्ति की औपचारिक स्वतंत्रता रहते हुए भी लक्षित व्यक्तियों को सार्वजनिक संवाद से बाहर धकेल सकती है।

8. आंकड़ा, निजता और गणनात्मक शक्ति

ऑनलाइन राजनीतिक संचार उपयोगकर्ता के व्यवहार, स्थान, संपर्क, रुचि और प्रतिक्रिया से विशाल आंकड़ा उत्पन्न करता है। इन आंकड़ों के आधार पर संदेश को विशिष्ट समूहों तक पहुंचाया जा सकता है। लक्षित संचार प्रासंगिक सूचना दे सकता है, पर अलग-अलग मतदाताओं को परस्पर विरोधी वादे दिखाए जाएं तो सार्वजनिक उत्तरदायित्व कमजोर होता है। लोकतांत्रिक प्रचार का मूल सिद्धांत यह होना चाहिए कि महत्वपूर्ण राजनीतिक दावे सार्वजनिक जांच के लिए उपलब्ध रहें।

निजता का प्रश्न केवल व्यक्तिगत गोपनीयता नहीं, राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रश्न है। यदि नागरिक को लगे कि उसकी खोज, संपर्क या विचार की निगरानी हो रही है, तो वह आत्म-सेंसर कर सकता है। राज्य और निजी मंच दोनों की आंकड़ा-संग्रह क्षमता के लिए उद्देश्य-सीमा, न्यूनतम संग्रह, सुरक्षा और स्वतंत्र निरीक्षण आवश्यक है। सहमति के लंबे और अस्पष्ट प्रपत्र वास्तविक नियंत्रण प्रदान नहीं करते। राजनीतिक दलों द्वारा मतदाता आंकड़ों के उपयोग पर भी स्पष्ट नियम और लेखा-परीक्षण होना चाहिए।

गणनात्मक प्रणाली किस सामग्री को ऊपर लाती है, इस पर मंच की व्यावसायिक और नीतिगत प्राथमिकताएं प्रभाव डालती हैं। इन प्रणालियों की अपारदर्शिता नागरिक को यह समझने से रोकती है कि उसका सूचना-परिवेश कैसे निर्मित हुआ। पूर्ण तकनीकी रहस्योद्घाटन संभव न हो, फिर भी मंचों को जोखिम मूल्यांकन, राजनीतिक सामग्री की पहुंच, हटाने के निर्णय और अपील के आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए। शोधकर्ताओं को निजता-सुरक्षित पहुंच मिलनी चाहिए ताकि लोकतांत्रिक प्रभाव का स्वतंत्र अध्ययन हो सके।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता से निर्मित सामग्री ने प्रामाणिकता की नई चुनौती उत्पन्न की है। नकली ध्वनि और दृश्य किसी सार्वजनिक व्यक्ति के कथन का भ्रम पैदा कर सकते हैं, जबकि अत्यधिक भय नागरिक को वास्तविक सामग्री पर भी अविश्वास करने की ओर ले जा सकता है। लेबल, स्रोत-चिह्न, त्वरित शिकायत और प्रमाणित आधिकारिक चैनल आवश्यक हैं। किंतु तकनीकी पहचान पूर्ण नहीं होती; इसलिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर सत्यनिष्ठा तथा प्रकटीकरण का स्पष्ट दायित्व होना चाहिए।

9. डिजिटल असमानता और प्रतिनिधित्व की सीमाएं

डिजिटल पहुंच का विस्तार समान भागीदारी की गारंटी नहीं देता। साझा उपकरण, सीमित आंकड़ा-पैक, कम डिजिटल कौशल, दिव्यांग-अनुकूलता का अभाव और घरेलू नियंत्रण उपयोग की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं। महिलाओं, गरीब परिवारों, दूरस्थ समुदायों और अल्पशिक्षित नागरिकों के लिए पहुंच की गुणवत्ता अलग हो सकती है। इसलिए केवल इंटरनेट उपयोगकर्ता संख्या को डिजिटल लोकतंत्र का सूचक मानना पर्याप्त नहीं है। निजी उपकरण, विश्वसनीय संपर्क, भाषा-सुलभता और सुरक्षित उपयोग समान रूप से आवश्यक हैं।

डिजिटल मंच पर दृश्यता भी असमान है। प्रसिद्ध व्यक्ति, संसाधन-संपन्न दल और पेशेवर सामग्री दल निरंतर उत्पादन तथा विज्ञापन से अधिक पहुंच प्राप्त करते हैं। छोटे समुदायों की सामग्री गणनात्मक अनुशंसा में पीछे रह सकती है या उनकी भाषा को प्रणाली ठीक से पहचान नहीं पाती। मंच-

संयम में प्रमुख भाषाओं को प्राथमिकता मिलने से क्षेत्रीय भाषाओं की मिथ्या सूचना और उत्पीड़न दर से पहचाने जा सकते हैं। तकनीकी समानता के लिए भाषायी और सांस्कृतिक क्षमता में निवेश आवश्यक है।

ऑनलाइन उत्पीड़न का भय महिलाओं और हाशिए के समूहों को आत्म-सेंसर करने के लिए बाध्य कर सकता है। राजनीतिक महिला, पत्रकार या कार्यकर्ता को सामान्य आलोचना से अलग यौनिक धमकी, शरीर पर टिप्पणी और परिवार को लक्षित अपमान का सामना करना पड़ता है। शिकायत करने पर सामग्री हटाने की अस्पष्टता और बार-बार प्रमाण देने का बोझ पीड़ित पर पड़ता है। सुरक्षित सहभागिता के लिए त्वरित सहायता, पारदर्शी अपील, कानून प्रवर्तन का प्रशिक्षण और मंचों की भाषा-विशिष्ट क्षमता आवश्यक है।

राजनीतिक सहभागिता का एक जोखिम प्रतीकात्मक क्लिक-सक्रियता है। किसी संदेश को साझा करना व्यक्ति को योगदान का अनुभव दे सकता है, पर वह दीर्घकालिक संगठन, स्थानीय बैठक, संसाधन-संग्रह या संस्थागत संवाद में परिवर्तित न हो। दूसरी ओर, ऑनलाइन नेटवर्क कभी-कभी बड़े आंदोलन की आधारभूमि भी बनते हैं। परिणाम इस बात पर निर्भर है कि डिजिटल ध्यान को स्थायी संगठन, नेतृत्व, लक्ष्य और निर्णय-रणनीति से कैसे जोड़ा गया है (तुफेकी, 2017)।

10. मंच-शासन और चुनावी नियमन

मंच-शासन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सुरक्षा और लोकतांत्रिक अखंडता के बीच संतुलन आवश्यक है। अत्यधिक हटाने से वैध आलोचना और व्यंग्य प्रभावित हो सकते हैं, जबकि निष्क्रियता से हिंसक या भ्रामक सामग्री फैल सकती है। नियम स्पष्ट, सार्वजनिक और समान रूप से लागू होने चाहिए। सामग्री हटाने, पहुंच घटाने, खाते निलंबित करने और अपील के निर्णयों के कारण उपयोगकर्ता को समझ में आने चाहिए। राज्य द्वारा जारी हटाने आदेशों की पारदर्शिता भी आवश्यक है।

भारत निर्वाचन आयोग ने 2024 में राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों को सामाजिक माध्यम के जिम्मेदार तथा

नैतिक उपयोग, नकली या विकृत सामग्री से परहेज और उल्लंघनकारी सामग्री पर शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। इस प्रकार चुनावी आदर्श आचार संहिता को ऑनलाइन सामग्री पर लागू करने की पुनर्पुष्टि हुई। दिशा-निर्देश महत्वपूर्ण हैं, पर उनका प्रभाव निगरानी की क्षमता, शिकायत की गति, दलों के आंतरिक नियंत्रण और मंचों के सहयोग पर निर्भर है (भारत निर्वाचन आयोग, 2024)।

जनवरी 2025 में आयोग ने राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और प्रमुख प्रचारकों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता से निर्मित या उल्लेखनीय रूप से परिवर्तित सामग्री पर स्पष्ट और आसानी से दिखाई देने वाला चिह्न लगाने की सलाह दी। यह प्रकटीकरण मतदाता को सामग्री की प्रकृति समझने में सहायता देता है और प्रचार की पारदर्शिता बढ़ाता है। हालांकि केवल चिह्न पर्याप्त नहीं है; जानबूझकर भ्रामक सामग्री, बिना अनुमति प्रतिक्रिया और हिंसा भड़काने वाले उपयोग पर प्रभावी प्रतिबंध तथा उत्तरदायित्व आवश्यक है (भारत निर्वाचन आयोग, 2025ख)।

राजनीतिक विज्ञापन के लिए सार्वजनिक संग्रह बनाया जाना चाहिए जिसमें विज्ञापन सामग्री, भुगतानकर्ता, व्यय, प्रसारण अवधि, लक्षित समूह के सामान्य मानदंड और पहुंच का विवरण हो। सूक्ष्म लक्ष्यीकरण के संवेदनशील आधारों पर सीमा आवश्यक है। दलों के आधिकारिक खातों, समर्थक नेटवर्क और भुगतान प्राप्त प्रभावकों के बीच संबंध का प्रकटीकरण किया जाना चाहिए। इससे नागरिक यह पहचान सकेगा कि वह स्वाभाविक समर्थन देख रहा है या प्रायोजित संचार।

नियमन में स्वतंत्र शोध और नागरिक समाज की भूमिका आवश्यक है। मंचों के स्वयं-प्रकाशित पारदर्शिता प्रतिवेदन पर्याप्त नहीं, क्योंकि मापदंड और नमूना उनके नियंत्रण में होते हैं। निजता-सुरक्षित आंकड़ा पहुंच, स्वतंत्र लेखा-परीक्षण और चुनाव अवधि में जोखिम आकलन की व्यवस्था होनी चाहिए। नियमन को केवल दंड पर आधारित करने के बजाय सार्वजनिक सूचना, त्वरित सुधार और प्रणालीगत जोखिम घटाने पर केंद्रित किया जाए।

11. सहभागिता की गुणवत्ता: भारतीय अनुभव का विश्लेषण

भारतीय डिजिटल राजनीति में सहभागिता का विस्तार स्पष्ट है, पर उसकी लोकतांत्रिक गुणवत्ता मिश्रित है। नागरिकों और राजनीतिक नेतृत्व के बीच संचार अधिक प्रत्यक्ष हुआ है, किंतु प्रत्यक्षता हमेशा उत्तरदायित्व नहीं बनाती। नेता नियंत्रित संदेश प्रसारित कर सकते हैं और कठिन प्रश्नों से बच सकते हैं। टिप्पणी की बड़ी संख्या संवाद का भ्रम उत्पन्न करती है, जबकि वास्तविक निर्णय बंद संगठनात्मक प्रक्रियाओं में हो सकता है। अतः डिजिटल निकटता और संस्थागत खुलापन अलग संकेतक हैं।

डिजिटल मंच ने प्रतिस्पर्धी जनवाद को नया रूप दिया है। नेता स्वयं को मध्यस्थ संस्थाओं से परे जनता की प्रत्यक्ष आवाज के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं और विरोध को अभिजन या राष्ट्र-विरोधी बताकर वैध असहमति को सीमित कर सकते हैं। भारतीय संदर्भ पर अध्ययन ने सामाजिक माध्यम, व्यक्तित्व-केंद्रित नेतृत्व और प्रतिस्पर्धी चुनावी जनवाद के बीच संबंध की ओर संकेत किया है (सिन्हा, 2017)। यह प्रवृत्ति केवल किसी एक दल तक सीमित नहीं; डिजिटल माध्यम की संरचना सभी पक्षों को भावनात्मक और सरल कथाओं की ओर प्रेरित कर सकती है।

ऑनलाइन राजनीतिक सहभागिता में समाचार और प्रचार की सीमा धुंधली होती है। राजनीतिक संदेश समाचार-जैसे प्रारूप, हास्य, लोक-संस्कृति और प्रभावक सामग्री में प्रस्तुत हो सकता है। नागरिक स्रोत पहचाने बिना संदेश स्वीकार

कर सकता है। दूसरी ओर स्वतंत्र पत्रकार और शोधकर्ता सार्वजनिक दस्तावेजों के आधार पर दावों की जांच कर सकते हैं। लोकतांत्रिक परिणाम इस बात पर निर्भर है कि पारदर्शी पत्रकारिता और नागरिक सत्यापन की क्षमता दुष्प्रचार की गति से मुकाबला कर सके।

सामाजिक माध्यम और राजनीति पर भारतीय शोध यह भी दिखाता है कि डिजिटल मंच सामाजिक संरचनाओं से बाहर नहीं हैं; जाति, धर्म, वर्ग और भाषा ऑनलाइन नेटवर्क में पुनः प्रकट होते हैं। मंच नए गठबंधन बना सकता है, पर सामाजिक पूर्वाग्रहों को बढ़ा भी सकता है। राजनीतिक संचार की प्रभावशीलता अक्सर ऑनलाइन संदेश और स्थानीय संगठन, जातीय नेटवर्क, धार्मिक संस्था तथा कल्याणकारी संपर्क के मेल से उत्पन्न होती है (नेयाजी और श्रोडर, 2021)।

इसलिए डिजिटल लोकतंत्र का निर्णायक प्रश्न यह नहीं कि राजनीति ऑनलाइन हो गई है या नहीं, बल्कि यह है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन संस्थाएं किस प्रकार जुड़ती हैं। मजबूत स्थानीय संगठन डिजिटल संदेश को सहभागिता और निगरानी में बदल सकते हैं। कमजोर संगठन में संदेश क्षणिक प्रतिक्रिया तक सीमित रह सकता है। पंचायत, नगर निकाय, सार्वजनिक सुनवाई और विधायी समिति जैसे संस्थानों को डिजिटल परामर्श से जोड़ने पर नागरिक प्रतिक्रिया निर्णय-प्रक्रिया का भाग बन सकती है।

12. मूल्यांकन की प्रस्तावित रूपरेखा

मूल्यांकन आयाम	मुख्य प्रश्न	संभावित संकेतक
पहुंच	कौन ऑनलाइन भाग ले सकता है?	उपकरण, संपर्क, भाषा, दिव्यांग-अनुकूलता और डिजिटल कौशल
सक्रियता	नागरिक किस प्रकार भाग लेते हैं?	सूचना, टिप्पणी, सामग्री-निर्माण, अभियान, शिकायत और मतदान सहायता
प्रतिनिधित्व	किन आवाजों को दृश्यता मिलती है?	लिंग, जाति, क्षेत्र, भाषा और संसाधन के अनुसार भागीदारी
विमर्श	संवाद कितना तर्कपूर्ण और विविध है?	स्रोत-उल्लेख, असहमति, अपमान की दर और दृष्टिकोणों की विविधता
प्रभाव	ऑनलाइन गतिविधि से क्या बदला?	संस्थागत उत्तर, कार्यसूची परिवर्तन, नीति संशोधन और स्थानीय कार्रवाई
अखंडता	सूचना और पहचान कितनी विश्वसनीय है?	मिथ्या सूचना, कृत्रिम खाते, प्रायोजित सामग्री और स्रोत प्रकटीकरण

मूल्यांकन आयाम	मुख्य प्रश्न	संभावित संकेतक
उत्तरदायित्व	मंच, दल और राज्य किसके प्रति जवाबदेह हैं?	पारदर्शिता प्रतिवेदन, अपील, विज्ञापन संग्रह और स्वतंत्र लेखा-परीक्षण

तालिका 1: डिजिटल राजनीतिक सहभागिता के मूल्यांकन की रूपरेखा

13. प्रमुख निष्कर्ष

पहला निष्कर्ष यह है कि ऑनलाइन मंच राजनीतिक सहभागिता के प्रवेश-द्वार का विस्तार करते हैं, विशेषकर सूचना, अभिव्यक्ति और त्वरित संगठन में। फिर भी पहुंच का विस्तार समान प्रभाव नहीं बनाता। संसाधन, भाषा, लिंग और सामाजिक नेटवर्क के अंतर से कुछ नागरिक अधिक दृश्य और प्रभावशाली होते हैं। डिजिटल लोकतंत्र को उपयोगकर्ता संख्या से आगे बढ़कर प्रभाव और प्रतिनिधित्व के आधार पर मापना आवश्यक है।

दूसरा निष्कर्ष यह है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन राजनीति परस्पर निर्भर हैं। सफल डिजिटल अभियान प्रायः स्थानीय संगठन, पारंपरिक माध्यम, नेतृत्व और संस्थागत अवसर से जुड़े हैं। केवल ऑनलाइन लोकप्रियता स्थायी नीति-परिवर्तन का पर्याप्त आधार नहीं है। इसके विपरीत, डिजिटल माध्यम स्थानीय आंदोलन को राष्ट्रीय दृश्यता, संसाधन और कानूनी समर्थन दे सकता है। इसलिए डिजिटल सहभागिता का मूल्यांकन उसके संस्थागत अनुवाद से किया जाना चाहिए।

तीसरा निष्कर्ष यह है कि मंच की अभिकल्पना लोकतांत्रिक परिणामों को प्रभावित करती है। सहभागिता बढ़ाने के लिए बनाई गई प्रणाली उत्तेजक और विभाजनकारी सामग्री को पुरस्कृत कर सकती है। निजी मंच सार्वजनिक संचार की निर्णायक संरचना बन गए हैं, पर उनके नियम और गणनात्मक प्रणालियां सीमित पारदर्शिता के साथ कार्य करती हैं। इस शक्ति के लिए सार्वजनिक उत्तरदायित्व आवश्यक है।

चौथा निष्कर्ष यह है कि मिथ्या सूचना का समाधान केवल सामग्री हटाने से संभव नहीं। राजनीतिक ध्रुवीकरण, संस्थागत अविश्वास, आर्थिक प्रोत्साहन और माध्यम-साक्षरता की कमी उसके प्रसार में योगदान करते हैं। विश्वसनीय सार्वजनिक सूचना, स्वतंत्र पत्रकारिता, स्थानीय भाषा में तथ्य-

जांच और मंच-स्तरीय जोखिम घटाना संयुक्त रूप से आवश्यक हैं। विविधता के बिना संचार नागरिकों को अलग-अलग वास्तविकताओं में बांट सकता है (सनस्टीन, 2017)। पांचवां निष्कर्ष यह है कि चुनावी नियमन को कृत्रिम सामग्री, सूक्ष्म लक्ष्यीकरण, भुगतान प्राप्त प्रभावकों और बंद संदेश नेटवर्क की चुनौतियों के अनुरूप विकसित करना होगा। पारदर्शिता और प्रकटीकरण स्वतंत्र अभिव्यक्ति को दबाए बिना मतदाता की सूचित पसंद को मजबूत कर सकते हैं। नियमन का उद्देश्य राजनीतिक आलोचना नियंत्रित करना नहीं, बल्कि स्रोत, वित्त और तकनीकी हेरफेर को सार्वजनिक जांच के योग्य बनाना होना चाहिए।

14. नीतिगत सुझाव

सार्वभौमिक डिजिटल पहुंच को लोकतांत्रिक अवसरचना माना जाना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित संपर्क, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में विश्वसनीय सेवा, दिव्यांग-अनुकूल मंच, स्थानीय भाषा में सामग्री और महिलाओं के निजी उपकरण तक पहुंच को प्राथमिकता दी जाए। डिजिटल साक्षरता को केवल अनुप्रयोग चलाने की क्षमता तक सीमित न रखकर स्रोत-जांच, निजता, विज्ञापन पहचान, कृत्रिम सामग्री और सभ्य असहमति की समझ से जोड़ा जाए।

सभी बड़े मंचों के लिए राजनीतिक विज्ञापन का सार्वजनिक और खोज योग्य संग्रह अनिवार्य होना चाहिए। इसमें भुगतानकर्ता, व्यय, अवधि, सामान्य लक्ष्यीकरण मानदंड और पहुंच का विवरण हो। राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों को भुगतान प्राप्त प्रभावकों, डिजिटल प्रचार संस्थाओं और आधिकारिक समर्थक नेटवर्क का प्रकटीकरण करना चाहिए। संवेदनशील व्यक्तिगत गुणों के आधार पर सूक्ष्म लक्ष्यीकरण पर कठोर सीमा लगाई जाए।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता से निर्मित या उल्लेखनीय रूप से परिवर्तित राजनीतिक सामग्री के लिए स्पष्ट चिह्न, स्रोत-सूचना और प्रचार सामग्री में अस्वीकरण आवश्यक हो। बिना अनुमति

किसी व्यक्ति की ध्वनि या छवि का भ्रामक प्रतिरूपण दंडनीय हो तथा चुनाव अवधि में त्वरित शिकायत प्रक्रिया उपलब्ध हो। आधिकारिक संस्थाओं को प्रमाणित चैनलों से शीघ्र तथात्मक स्पष्टीकरण देना चाहिए, ताकि अफवाह के लिए सूचना-रिक्तता न बने।

मंचों को भारतीय भाषाओं में पर्याप्त सामग्री-संयमक, सांस्कृतिक विशेषज्ञ और शिकायत सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। हटाने या पहुंच घटाने के निर्णय के कारण, अपील और समय सीमा स्पष्ट हों। महिला, दलित, आदिवासी, धार्मिक अल्पसंख्यक और अन्य लक्षित समूहों के विरुद्ध संगठित उत्पीड़न को अलग जोखिम श्रेणी में समझा जाए। शिकायतकर्ता से बार-बार हिंसक सामग्री देखने और प्रमाणित करने का बोझ कम किया जाए।

निर्वाचन अवधि में स्वतंत्र डिजिटल अखंडता प्रेक्षण व्यवस्था विकसित की जा सकती है, जिसमें निर्वाचन संस्था, विश्वविद्यालय, नागरिक समाज, पत्रकार और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हों। इसका कार्य सामग्री पर राजनीतिक निर्णय देना नहीं, बल्कि विज्ञापन पारदर्शिता, समन्वित कृत्रिम व्यवहार, कृत्रिम सामग्री, भाषा-विशिष्ट जोखिम और शिकायत निस्तारण की निगरानी करना हो। प्रतिवेदन सार्वजनिक और पद्धति-पारदर्शी हों।

लोकतांत्रिक संस्थाओं को डिजिटल परामर्श को औपचारिक निर्णय-प्रक्रिया से जोड़ना चाहिए। विधेयकों, नगर योजनाओं और स्थानीय बजट पर बहुभाषिक टिप्पणी मंच बनाए जाएं; प्राप्त सुझावों का विषयवार सार और स्वीकार या अस्वीकार करने का कारण प्रकाशित हो। ऑनलाइन परामर्श के साथ प्रत्यक्ष बैठक और ऑफलाइन प्रस्तुतिकरण का विकल्प रहे, ताकि डिजिटल रूप से वंचित नागरिक बाहर न हों।

15. निष्कर्ष

डिजिटल मंचों ने भारतीय राजनीतिक संचार और सहभागिता को गहराई से बदल दिया है। उन्होंने सूचना तक पहुंच, नागरिक अभिव्यक्ति, अभियान, प्रतिनिधियों से संपर्क और वंचित आवाजों की दृश्यता के अवसर बढ़ाए हैं। साथ ही निजी गणनात्मक शक्ति, मिथ्या सूचना, घृणास्पद भाषण, निजता-हानि, असमान पहुंच और प्रतीकात्मक सक्रियता की

समस्याएं भी बढ़ी हैं। इसलिए डिजिटल लोकतंत्र का मूल्यांकन तकनीकी आशावाद या भय के किसी एक छोर से नहीं किया जा सकता।

ऑनलाइन गतिविधि लोकतांत्रिक तब बनती है जब वह नागरिक को विश्वसनीय सूचना, सुरक्षित अभिव्यक्ति, विविध संवाद और निर्णय पर वास्तविक प्रभाव प्रदान करे। इसके लिए सार्वजनिक संस्थाओं की पारदर्शिता, मंचों की उत्तरदायित्वशीलता, राजनीतिक दलों की प्रचार-नैतिकता और नागरिकों की माध्यम-साक्षरता एक साथ आवश्यक हैं। डिजिटल क्षेत्र को मुक्त अभिव्यक्ति और लोकतांत्रिक अखंडता के बीच कृत्रिम विकल्प के रूप में नहीं, बल्कि अधिकार और उत्तरदायित्व की साझा संरचना के रूप में विकसित करना होगा।

संदर्भ

- बेनेट, डब्ल्यू. एल., और सेगरबर्ग, ए. (2013). जुड़ाव-आधारित कार्रवाई का तर्क: डिजिटल माध्यम और विवादपूर्ण राजनीति का वैयक्तिकीकरण. कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय प्रेस.
- बुलियान, एस. (2015). सामाजिक माध्यम का उपयोग और सहभागिता: समकालीन शोध का समेकित विश्लेषण. सूचना, संचार और समाज, 18(5), 524–538.
- भारतीय इंटरनेट और मोबाइल संघ तथा कांसार. (2026). भारत में इंटरनेट 2025. भारतीय इंटरनेट और मोबाइल संघ.
- भारत निर्वाचन आयोग. (2024). चुनाव प्रचार में सामाजिक माध्यम के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग संबंधी दिशा-निर्देश. भारत निर्वाचन आयोग.
- भारत निर्वाचन आयोग. (2025क). आम चुनाव 2024 का एटलस. भारत निर्वाचन आयोग.
- भारत निर्वाचन आयोग. (2025ख). कृत्रिम बुद्धिमत्ता से निर्मित राजनीतिक प्रचार सामग्री के स्पष्ट चिह्नांकन संबंधी परामर्श. भारत निर्वाचन आयोग.
- चैडविक, ए. (2017). मिश्रित माध्यम व्यवस्था: राजनीति और शक्ति. ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस.
- कास्टेल्स, एम. (2012). आक्रोश और आशा के नेटवर्क: इंटरनेट युग में सामाजिक आंदोलन. पॉलिटी प्रेस.
- कोलमैन, एस., और ब्लमलर, जे. जी. (2009). इंटरनेट और लोकतांत्रिक नागरिकता: सिद्धांत, व्यवहार और नीति. कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय प्रेस.
- नेयाजी, टी. ए., कुमार, ए., और सेमेटको, एच. ए. (2016). भारत में अभियान, डिजिटल माध्यम और राजनीतिक

- लामबंदी. अंतरराष्ट्रीय प्रेस और राजनीति पत्रिका, 21(3), 398–416.
- नेयाजी, टी. ए., और श्रोडर, आर. (2021). क्या 2019 का भारतीय चुनाव डिजिटल माध्यम ने जीता था? संचार समीक्षा, 24(2), 87–106.
- पैरिसर, ई. (2011). छनन बुलबुला: इंटरनेट हमारे सामने क्या छिपाता है. पेंगुइन प्रेस.
- पाल, जे. (2015). साधारणताएं हुई व्यापक: नरेंद्र मोदी और राजनीतिक संक्षिप्त संदेश. टेलीविजन और नया माध्यम, 16(4), 378–387.
- सिन्हा, एस. (2017). नाजुक वर्चस्व: मोदी, सामाजिक माध्यम और भारत में प्रतिस्पर्धी चुनावी जनवाद. अंतरराष्ट्रीय संचार पत्रिका, 11, 4158–4180.
- सनस्टीन, सी. आर. (2017). गणराज्य: विभाजित लोकतंत्र और सामाजिक माध्यम का युग. प्रिंसटन विश्वविद्यालय प्रेस.
- तुफेकी, जेड. (2017). डिजिटल आंदोलन की शक्ति और नाजुकता. येल विश्वविद्यालय प्रेस.
- उडुपा, एस. (2018). गाली संस्कृतियां: सामाजिक माध्यम पर अपमानजनक आदान-प्रदान की राजनीति. नया माध्यम और समाज, 20(4), 1506–1522.

Disclaimer/Publisher's Note: The views, findings, conclusions, and opinions expressed in articles published in this journal are exclusively those of the individual author(s) and contributor(s). The publisher and/or editorial team neither endorse nor necessarily share these viewpoints. The publisher and/or editors assume no responsibility or liability for any damage, harm, loss, or injury, whether personal or otherwise, that might occur from the use, interpretation, or reliance upon the information, methods, instructions, or products discussed in the journal's content.
